कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2060 /11—सी—FP/UP/Trans/33687/2018, लखनऊः दिनांकः मई 07 ,2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषयः— उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जनपद—इलाहाबाद के अंतर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र गिण्टोपार्क एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलीयारगंज के गध्य 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाईन बिछाने के कार्य हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— उ0प्र0 शासन का पत्रांक—143/14—2—2018—800(127)/2018, दिनाँक—03.08.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज ने अपने पत्रांक—3406/15—1, दिनांक 01.05.2019 द्वारा इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में भू—स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक एड—हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं भू—स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या— 2060 /11—सी— FP/UP/Trans/33687/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, प्रयागराज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड—द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, इलाहाबाद।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1273

Email
07-05-19